श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान

विश्वैसरेया मार्ग (23, पार्क रोड), इंदौर

शासी निकाय की 122वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक दिनांक	:	15 / 07 / 2017
दिन	:	शनिवार
समय	:	प्रातः 11.00 बजे
स्थान	:	बोर्ड रूम, एसजीएसआयटीएस, इंदौर

श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर (म0प्र0)

शासी निकाय की 122वीं बैठक में रखे गये मदों की सूची

मद क्रमांक	मद का विवरण
मद क्र. 122–01	संस्थान के शासी निकाय की 121वीं बैठक दिनांक 15/06/2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।
मद क्र. 122–02	संस्थान के शासी निकाय की 121वीं बैठक दिनांक 15/06/2016 में लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण।
मद क्र. 122–03	जस्टिस श्री पी.पी. नावलेकर को श्री जी.एस. टेक्नालॉजीकल सोसायटी का अध्यक्ष बनाये जाने एवं शासी निकाय में नामित करने की सूचना ।
मद क्र. 122–04	संस्थान की वित्त समिति की 65वीं बैठक दिनांक 26/04/2017 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।
मद क्र. 122–05	संस्थान की महिला कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत करने के संबंध में ।
मद क्र. 122–06	संस्थान में सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा मिलीटरी रिटायर्ड व्यक्तियों को सिक्युरिटी के रूप में लेने बाबत।
मद क्र. 122–07	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत शासन द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रेंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के तहत जारी देश की श्रेष्ट 100 तकनीकी संस्थाओं की सूची में संस्थान को लाने हेतु प्रयास करने बाबत।
मद क्र. 122–08	संस्थान में संविदा के आधार पर कार्यरत सहायक प्राध्यापकों के वेतन में संशोधन करने बाबत ।
मद क्र. 122–09	शिक्षकों को कैरियर संवर्द्धन योजना (Career Advancement Scheme) के अन्तर्गत पदोन्नति देने वं कर्मचारियों के समयमान वेतनमान योजना (Time Scale) के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ देने बाबत।
मद क्र. 122–10	संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों में पड़े अनुपयोगी सामानों एवं ई–वेस्ट को राईट ऑफ करने बाबत।
मद क्र. 122–11	TEQIP-III परियोजना अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही की जानकारी एवं अनुमोदनार्थ।
मद क्र. 122–12	संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए लागू ग्रुप मेडिकल इंश्युरेंस योजना के अन्तर्गत इंदौर के किसी नामी अस्पताल के साथ टाई–अप करने बाबत।
मद क्र. 122–13	संस्थान द्वारा बाह्य संस्थाओं के लिए की जाने वाली टेस्टिंग एण्ड कन्सल्टेसी की दरों में संशोधन करने बाबत।

मद क्र. 122–14	संस्थान में आउटसोर्सिंग सेवाओं के सम्बन्ध में।
मद क्र. 122–15	सेंटर फॉर इन्नोवेशन डिजाईन एण्ड इन्कुबेशन का निर्माण एवं अन्य सेंटर हेतु कुछ पद सृजित करने बाबत।
मद क्र. 122–16	संस्थान के कम्प्यूटर इंजीनियरिंग विभाग सहित अन्य विभागों के लिए शिक्षकों एवं तकनीकी सहायकों के अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत ।
मद क्र. 122–17	सब इंजीनियर (एम एण्ड आर– इलेक्ट्रिफिकेशन) के एक पद के सृजन बाबत ।
मद क्र. 122–18	साप्ताहिक पांच दिवसीय कार्यप्रणाली संस्थान में लागू करने बाबत।
मद क्र. 122–19	संस्थान के शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ की ओर से उनकी मांग सेवा भर्ती नियम एवं पदोन्नति नियम के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र दिनांक 10.07.2017 पर विचार विमर्श।
मद क्र. 122–20	संस्थान के छात्रों के लिए दुर्घटना मेडिक्लेम पॉलिसी लागू करने के सम्बन्ध में ।
अध्यक्ष की अनुमति से रखे अन्य मद	
मद क्र. 122–21–01	संस्थान को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने हेतु योजना बनाने बाबत।
मद क्र. 122–21–02	संस्थान के छात्रों के लिए हेलमेट एवं ड्राइविंग लाइसेंस 16 अगस्त 2017 से अनिवार्य करने बाबत।
मद क्र. 122–21–03	छात्रों के डिप्रेशन सम्बन्धी समस्याओं के निदान हेतु कार्यशाला/सेमिनार आयोजित करने बाबत।
मद क्र. 122–21–04	डॉ. आर.एस. गामड एवं अन्य प्राध्यापकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ देने विषयक ।
मद क्र. 122–21–05	छात्रों के लिए मेंटल काउंसलर/साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति बाबत।

श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, इंदौर (म.प्र.)

संस्थान के शासी निकाय की 122वीं बैठक दिनांक 15/07/2017 का कार्यवृत्त

संस्थान के शासी निकाय की 122वीं बैठक शनिवार, दिनांक 15/07/2017 को प्रातः 11.00 बजे से बोर्ड रूम, एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर में माननीय श्री दीपक जोशी, मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं पदेन अध्यक्ष, शासी निकाय, एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अध्यक्ष के अतिरिक्त बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे ।

1. श्री दीपक जोशी,
माननीय मंत्री,
तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग,
म0प्र0 शासन, वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

2. प्रो.वीरेन्द्र कुमार,
संचालक तकनीकी शिक्षा, म0प्र0,
सतपुड़ा भवन, चतुर्थ मंजिल, भोपाल – 462 004

3. डॉ. दीपक बी. फाटक,
प्रोफेसर,
डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग,
कंवल रेकी बिल्डिंग,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, बाम्बे, मुंबई–400 076

4. श्री अभयसिंह भरकतिया,
यशवंत निवास कॉलोनी,
यशवंत क्लब के पास, इंदौर

5. डॉ0 एम.एल. जैन,
प्रोफेसर, मेकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग,
श्री जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर

6. डॉ. सुनील बी. अजमेरा,
एसोसिएट प्रोफेसर,
सिविल इंजीनियरिंग विभाग,
एसजीएसआयटीएस, इदौर

7. श्री राजेश धाकड़,
असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग
श्री जी.एस. आय.टी.एस., इंदौर

8. इंजी. अतुल सेठ,
प्रेसीडेंट एलुमिनी एसोसिएशन,
एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर – आमंत्रित सदस्य

9. प्रो. राकेश सक्सेना,
निदेशक,
एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर – सदस्य सचिव

निम्न सदस्यों को बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण अध्यक्ष Leave of absence द्वारा प्रदान की गई।

1. श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग,
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल– 462 004

2. प्रमुख वित्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन,45
भोपाल– 462 004

3. डॉ. सुनील कुमार गुप्ता,
कुलपति,
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गांधी नगर, एयरपोर्ट बायपास रोड,
भोपाल – 462 036

4. क्षेत्रीय अधिकारी,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
शामला हिल्स, टैगोर छात्रावास,
भोपाल– 462 013

10. जस्टिस पी.पी. नावलेकर,
सिविल लाईन्स,
जबलपुर

6. श्री नन्दकुमार . सेकसरिया
सेकसरिया चेम्बर्स,
139, नागिनदास मास्टर रोड,
मुंबई–400 001

5. श्री एस.एन. कोहली,
15/1, साउथ तुकोगंज,
इंदौर

बैठक के प्रारम्भ में अनौपचारिक चर्चा हुई जिसमें बैठक के कार्यवृत्त में सुधार हेतु सुझाव दिये गये एवं कहा गया कि उसकी रिकार्डिंग हो । संस्थान निदेशक एवं सचिव ने बताया कि शासी निकाय के निर्णयानुसार बाकायदा बैठक के कार्यवृत्त की वाईस रिकार्डिंग होती है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संस्थान को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत शासन द्वारा जारी नेशनल रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेमवर्क (NIRF) की सूची में टॉप 100 इंजीनियरिंग संस्थानों में कैसे ला सकते हैं इस हेतु प्लान बनाकर एकजुट प्रयास करने की मंशा जाहिर की गई। उन्होंनें कहा कि नई रैंकिग जारी करने हेतु अभी आठ महीने बचे हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना है एवं इस हेतु अपनी ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया ।

अनौपचारिक चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष द्वारा बैठक प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई।

बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

मद क्र.122–01: संस्थान के शासी निकाय की 121वीं बैठक दिनांक 15/06/2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

शासी निकाय की 121वीं बैठक दिनांक 15.06.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।

मद क्र.122–02: संस्थान के शासी निकाय की 121वीं बैठक दिनांक 15/06/2016 में लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण ।

संस्थान के शासी निकाय की 121वीं बैठक दिनांक 15.6.2016 में लिये गये निर्णयों पर संस्थान द्वारा की गई कार्यवाही को नोट करते समय निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

1/ संस्थान की ग्रीवेंश एण्ड अपील कमेटी में डॉ. मिलिन्द दांडेकर शिक्षक प्रतिनिधि नामित किये गये थे। चूंकि उनकी पदोन्नति के उपरान्त उनके स्थान पर डॉ. सुनील अजमेरा शासी निकाय में शिक्षक प्रतिनिधि नामित किये गये हैं, अतः वे अब ग्रीवेंश एण्ड अपील कमेटी में शासी निकाय द्वारा नामित एक सदस्य होंगे जिसका अनुमोदन किया गया ।

मद क्र.122–03: जस्टिस श्री पी.पी. नावलेकर को श्री जी.एस. टेक्नालॉजीकल सोसायटी का अध्यक्ष बनाये जाने एवं शासी निकाय में नामित करने की सूचना।

श्री जी.एस. टेक्नालॉजीकल सोसायटी के अध्यक्ष जस्टिस श्री पी.डी. मूल्ये के निधन के उपरान्त उनके स्थान पर जस्टिस श्री पी.पी. नावलेकर सोसायटी के अध्यक्ष एवं शासी निकाय के सदस्य नामित किये गये है। इसे नोट करते हुए शासी निकाय ने उनके नाम का अनुमोदन प्रदान किया।

मद क्र.122–04: संस्थान की वित्त समिति की 65वीं बैठक दिनांक 26/04/2017 का अनुमोदन।

संस्थान की वित्त समिति की 65वीं बैठक दिनांक 26/04/2017 के कार्यवृत्त पर डॉ. एम. एल. जैन, शासी निकाय में शिक्षक प्रतिनिधि की ओर से पत्र दिनांक 25.5.2017 प्राप्त हुआ था। उनके पत्र में उल्लेखित आपत्तियों पर संस्थान निदेशक द्वारा उनसे चर्चा कर एवं तदनुरूप वित्त समिति की 65वीं बैठक के कार्यवृत्त में संशोधन करने सम्बन्धी पत्र क्र. निदेशक/शा.नि.–122/2017/428ए दिनांक 10.7.2017 दिया था जिसे पटल पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष द्वारा निदेशक को छात्र एवं संस्थान हित को देखते हुए बजट अनुसार वित्त समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यों को कराने के लिए कहा गया । तदनुसार वित्त समिति की 65वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

वित्त समिति के कार्यवृत्त पर चर्चा के दौरान संस्थान निदेशक ने बताया कि संस्थान को शासन से वित्त वर्ष 2016–17 में करीब 7.19 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। शासन द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक वर्ष 2017–18 से शिक्षण शुल्क में बढोतरी की गई । तदनुसार संस्थान द्वारा शिक्षण शुल्क में

बढ़ोतरी की गई । साथ ही संस्थान के बजट घाटे के मद्देनजर अन्य पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। संस्थान के व्ययों में वृद्धि को देखते हुए प्रतिवर्ष विभिन्न शुल्कों में 10 से 12 प्रतिशत की वृद्धि हेतु प्रस्ताव रखा गया जिसकी स्वीकृति दी गई।

शासी निकाय द्वारा संस्थान की आय में बढ़ोतरी के लिए निम्नानुसार सुझाव दिए गएः–

1/ संस्थान के पूर्व एलुमिनी एसोसिएशन के साथ मिलकर "ज्वाईंट वेंचर' पर मिलकर काम करें।

2/ शासन के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आरक्षित वर्ग के छात्रों के छात्रावास भवन एवं अन्य सुविधाओं के लिए अनुदान दिया जाता है। अन्य विभागों से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त होता है, अतः संस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से अपने प्रस्ताव ऐसे विभागों को भिजवाएं ताकि संस्थान को शासन से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अधिक से अधिक राशि प्राप्त हो सके ।

3/ टेस्टिंग एण्ड कन्सल्टेंसी की दरों में यथोचित वृद्धि की जाए ।

4/ आर्थिक संसाधनों की कमी को देखते हुए नये भवन बनाने के स्थान पर वर्तमान भवनों का सही रखरखाव कर उपयोग किया जाए ।

5/ भारत शासन, डिपार्टमेंट ऑफ साईंस एण्ड टेक्नालॉजी द्वारा नियम 12बी के प्रावधानों के अन्तर्गत भवनों के लिए अनुदान प्राप्त होता है, अतः संस्थान द्वारा इस हेतु प्रस्ताव भेजे जाएं ।

6/ एलुमिनी एसोसिएशन एवं संस्थान मिलकर विकास के लिए योजना बनाए ।

7/ संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा शासी निकाय की बैठक की कार्यसूची में वित्त समिति के कार्यवृत्त के पुष्टिकरण सम्बन्धी मद के साथ बेलेंस शीट की प्रति होनी चाहिए।

मद क्र.122–05: संस्थान की महिला कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत करने के संबंध में।

म. प्र. शासन में शासकीय कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों, जिनकी संतान अवयस्क अर्थात् आयु सामान्य संतान हेतु 18 वर्ष से कम अथवा 40 प्रतिशत से अधिक अक्षमता वाली संतान के प्रकरण में 22 वर्ष से कम हो, को संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। तदनुसार शासी निकाय ने संस्थान में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं एवं महिला कर्मचारियों को उनकी अवयस्क संतानों के पालन हेतु संतान पालन अवकाश स्वीकृत करने का अनुमोदन प्रदान किया । संस्थान का शैक्षणिक कैलेण्डर एवं महत्वपूर्ण कार्य जैसे परीक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार अवकाश स्वीकृत करने के लिए निदेशक को अधिकृत किया गया ।

मद क्र.122–06: संस्थान में सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा मिलीटरी रिटायर्ड व्यक्तियों को सिक्युरिटी के रूप में लेने बाबत।

शासी निकाय ने संस्थान की सुरक्षा हेतु रिटायर्ड मिलीटरी पर्सन को प्राथमिकता देते हुए सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से नियुक्त करने के लिए संस्थान निदेशक को अधिकृत किया। यदि सैनिक कल्याण बोर्ड रिटायर्ड मिलीटरी पर्सन उपलब्ध कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है तो अन्य माध्यम से नियुक्त किये जाए ।

संस्थान के अन्य कामों के लिए मेनपॉवर वर्तमान व्यवस्था अनुसार ही किसी एजेंसी के माध्यम से हायर किए जाएंगे।

मद क्र. 122–07: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत शासन द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के तहत जारी देश की श्रेष्ठ 100 तकनीकी संस्थाओं की सूची में संस्थान को लाने हेतु प्रयास करने बाबत।

संस्थान निदेशक ने सदन को बताया कि आउटलुक सर्वे एवं काम्पीट्युशन सक्सेस रिव्यु जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं द्वारा देशभर की संस्थाओं का सर्वे कर टॉप इंजीनियरिंग संस्थाओं की सूची जारी की जाती है जिसमें एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर की रैंकिंग हमेशा ही काफी अच्छी (टाप 25 से 40 के बीच) रही है। हमें मानव संसाधनविकास मंत्रालय द्वारा जारी एन.आई.आर. की सूची में भी स्थान मिलने की पूर्ण संभावना थी। गत वर्ष ही संस्थान के फार्मेसी विभाग को एन.आर.आई.एफ. की सूची में 43वॉ स्थान दिया गया था। अगले साल संस्थान की पर्याप्त जानकारी देकर पुनः सूची में स्थान मिलने की कोशिश की जाएगी ।

माननीय मंत्री/अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम प्रदेश के अच्छे इंजीनियरिंग संस्थाओं को प्रमोट करना चाहते हैं। एन.आई.आर.एफ. की नई सूची जारी करने के लिए अभी आठ माह बचे हैं । अतः एस. जी.एस.आय.टी.एस. को इस सूची में लाने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करने की आवश्यकता है जिसका सदस्यों ने ध्वनिमत से स्वागत किया। इस हेतु उन्होंने संस्थान की ओर से एक प्रस्ताव बनाकर शासी निकाय के माननीय सदस्यों को उनसे मिलने के लिए कहा। तदनुसार संस्थान की ओर से प्रस्ताव तैयार उनके समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

मद क्र. 122–08: संस्थान में संविदा के आधार पर कार्यरत सहायक प्राध्यापकों के वेतन में संशोधन करने बाबत ।

सदन को अवगत कराया गया कि संस्थान में कई संविदा प्राध्यापक पिछले दस वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और उन्हें करीब एक वर्ष पहले तक रु.25000/– प्रतिमाह समेकित वेतन दिया जाता था। वर्तमान में कुछ संविदा प्राध्यापक का वेतन घटाकर रु.18000/– प्रतिमाह कर दिया गया है ।

शासी निकाय ने गहन विचार विमर्श एवं चर्चा उपरान्त संविदा प्राध्यापकों के मासिक समेकित वेतन में निम्नानुसार बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया:–

1/ शासन/संस्थान द्वारा निर्धारित अर्हता रखने वाले संविदा प्राध्यापकों को रु.25,000/– के स्थान पर अब रु.30,000/– प्रतिमाह समेकित वेतन देय होगा ।

2/ उच्च डिग्रीधारी/पी.एच.डी. की उपाधि रखने वाले सभी संकायों के संविदा प्राध्यापकों को रु.35000/– प्रतिमाह समेकित वेतन देय होगा ।

3/ ह्युमिनीज/अप्लाईड साईंस विषयों के अन्तर्गत नियुक्त जो प्राध्यापक नेट क्वालिफाइड नहीं है तथा वर्तमान में रु.18000/– प्रतिमाह समेकित वेतन दिया जा रहा है,उन्हें अब रु.25000/– समेकित वेतन देय होगा ।

उपरोक्तानुसार वेतन में बढ़ोतरी माह अगस्त 2017 के वेतन से की जाएगी।

मद क्र. 122–09: शिक्षकों को कैरियर संवर्द्धन योजना (Career Advancement Scheme) के अन्तर्गत पदोन्नति देने वं कर्मचारियों के समयमान वेतनमान योजना (Time Scale) के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का लाभ देने बाबत।

सदन को अवगत कराया गया कि कैरियर संवर्द्धन योजना का लाभ शिक्षकों को दे दिया गया है। शासन द्वारा कुछ शिक्षकों को इस योजना का लाभ देने के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया गया है जिसे संस्थान में लागू करने हेतु निवेदन किया गया। निर्णय लिया गया कि ए.आई.सी.टी.ई. के नये

नियमों के अनुसार कैरियर संवर्द्धन योजना हेतु साक्षात्कार करवाकर जो शिक्षक वर्तमान में पदोन्नति के लाभ से वंचित हैं उन्हें पदोन्नति दे दी जाए ।

शिक्षकों के कैरियर संवर्द्धन योजना के समतुल्य संस्थान के कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान योजना लागू हैं । निर्णय लिया गया कि इस योजना के अनुसार पात्र कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में समयमान वेतनमान का लाभ मिल सके ऐसी व्यवस्था की जाए ।

मद क्र. 122–10: संस्थान के विभिन्न विभागों/अनुभागों में पड़े अनुपयोगी सामानों एवं ई–वेस्ट को राईट ऑफ करने बाबत।

शासी निकाय ने संस्थान के विभिन्न विभागों एवं अनुभागों में पड़े अनुपयोगी सामानों एवं ई–वेस्ट को मध्यप्रदेश शासन के क्रय एवं भण्डार नियमों के अन्तर्गत करने हेतु समय–समय पर सभी विभागों से प्रस्ताव प्राप्त कर स्टोर्स सेक्शन के माध्यम से राईट ऑफ करवाने का निर्णय लिया ।

संस्थान निदेशक ने बताया कि संस्थान में बहुत से पुराने कंप्यूटर अनुपयोगी थे जिन्हें विभिन्न विभागों एवं अनुभागों से एकत्रित कर एवं हिस्से–पुर्जे बदलकर असेम्बल किया गया है । इस तरह से खराब कंप्यूटरों में से कई कंप्यूटर उपयोग लायक हो गये हैं । जो कंप्यूटर/प्रिंटर संस्थान के उपयोग लायक होंगे उन्हें आवश्यकतानुसार विभागों/अनुभागों में आवंटित किया जाएगा । पुराने सिस्टम जो संस्थान के लिए अनुपयोगी है एवं चालू हालत में है सरकारी स्कूलों को निःशुल्क दिया जाएगा ।

निर्देशित किया गया है ऐसे कंप्यूटर एवं प्रिंटर की सूची तैयार कर आगामी कार्यवाही की जाए। स्कूलों को दिये जाने वाले कंप्यूटरों का पूर्ण हिसाब रखा जाए ।

मद क्र.122–11:– TEQIP-III परियोजना अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही की जानकारी एवं अनुमोदनार्थ।

सदन को टेक्यूप परियोजना के अन्तर्गत संस्थान में संचालित गतिविधियों से अवगत कराते हुए बताया गया कि संस्थान के लिए टेक्यूप फेज–3 की योजना स्वीकृत हो गई है जिसके लिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को मेंटर बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले व्ययों के भुगतान भारत सरकार के पोर्टल, पी.एफ.एम.एस. (पब्लिक फण्ड मेनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से किये जावेगें जिसके लिए अनुमोदन करने की निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की गई है–

(1) संस्थान प्रमुख को रूपये 1/– से 50,00,000/– तक

(2) चेयर मेन बी.ओ.जी. रूपये 50,00,001/– से अधिक

शासी निकाय द्वारा उपरोक्तानुसार टेक्यूप–3 का एन.पी.आई.यू. नई दिल्ली के नियमानुसार व्यय करने का अनुमोदन निदेशक को दिया गया ।

मद क्र. 122–12: संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए लागू ग्रुप मेडिकल इंश्युरेंस योजना के अन्तर्गत इंदौर के किसी नामी अस्पताल के साथ टाई–अप करने बाबत।

संस्थान के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों/आश्रितों (पति/पत्नी, माता– पिता, दो बच्चे) के लिए ग्रुप मेडिकल इंश्युरेंस की योजना केवल चार सरकारी इंश्युरेंस कंपनी के मार्फत ही लेने का निर्णय लिया गया ।

मद क्र. 122–13: संस्थान द्वारा बाह्य संस्थाओं के लिए की जाने वाली टेस्टिंग एण्ड कन्सल्टेंसी की दरों में संशोधन करने बाबत ।

चूंकि संस्थान द्वारा वर्तमान में टेस्टिंग एवं कन्सल्टेंसी सेवाओं हेतु लिये जाने वाले 15 प्रतिशत सर्विस टैक्स एवं 15 प्रतिशत सरचार्ज के स्थान पर अब जीएसटी लागू है, अतः तदनुसार वर्कआउट

करके इन सेवाओं के लिए एक कमेटी के माध्यम से प्रस्ताव तैयार करवाकर लागू किया जाए एवं शासी निकाय की आगामी बैठक में उसका अनुमोदन करवा लिया जाए जिसके लिए निदेशक को अधिकृत किया गया ।

शासी निकाय ने निर्णय लिया कि चूंकि कन्सल्टेंसी हेतु संस्थान के संसाधनों का उपयोग नहीं होता है, अतः संस्थान द्वारा बाह्य संस्थानों के लिए की जाने वाली कन्सल्टेंसी हेतु संस्था द्वारा निर्धारित कन्सल्टेंट एवं निदेशक द्वारा कमेटी बनाकर राशि निर्धारित की जाएगी। नीति बनाकर अनुमोदन पश्चात ही लागू किया जाये।

मद क्र: 122–14: संस्थान में आउटसोर्सिंग सेवाओं के संबंध में।

संस्थान में आउट सोर्सिंग के रूप में साफ–सफाई, सुरक्षा एवं मेनपावर (तकनीकी/लिपिकीय कर्मचारी) आदि की सेवाएँ ली जा रही हैं जिस हेतु वित्त समिति द्वारा पारित बिर्णयानुसार उनके मानदेय में दिनांक 1.2.2017 से निम्नानुसार संशोधन किया गया है।

स.क्र.	पद का नाम	पूर्व मानदेय	संशोधित मानदेय
1	Lab. Technician, Sophisticated analytical instrument operator & Animal House Assistant.	12,000/–	15,500/–
2	(i) Clerk/Stenographer and Account/Store Keeper (ii) Library Assistant	9,000/–	12,500/–
3	(i) Peon (ii) Lab. Attendant/Machine operator (iii) Book lifter/Library attendant (iv) Electrician/Plumber/Time keeper and Driver	7,000/–	9,500/–

प्रस्ताव अनुसार उपरोक्त के अतिरिक्त सब इंजीनियर, एस्टेट सुपरवाईजर एवं नेटवर्क इंजीनियर, जिनका मानदेय दिनांक 1.2.2017 को रूपये 14,000/– से संशोधित कर रूपये 15,500/– किया गया था, को पुनः संशोधित कर रु.17000/– करने का अनुमोदन प्रदान किया गया ।

शासी निकाय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि चूंकि कार्योत्तर अनुमोदन की परिपाटी उचित नहीं है, अतः इस तरह के प्रकरणों को शासी निकाय या विलम्ब होने पर शासी निकाय की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में अध्यक्ष, शासी निकाय से पहले अनुमोदन करा लिया जाए ।

उपरोक्त पदों के चयन हेतु निर्धारित अर्हता, अनुभव एवं आयु सीमा का नियमानुसार ध्यान रखा जाए।

मद क्र. 122–15: सेंटर फॉर इन्नोवेशन डिजाईन एण्ड इन्कुबेशन का निर्माण एवं अन्य सेंटर हेतु कुछ पद सृजित करने बाबत।

संस्थान में वर्तमान में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, उन्नत भारत अभियान, इन्कुबेशन सेंटर के अतिरिक्त अन्य योजनाएं चल रही हैं जो कि इस इन्नोवेटिव डिजाईन एण्ड इन्कुबेशन सेंटर के अन्तर्गत चलाई जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत संस्थान द्वारा करीब दो करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

शासी निकाय ने इन्नोवेशन डिजाईन एण्ड इन्कुबेशन सेंटर के सुचारू संचालन तथा सभी योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए उचित संख्या में सहायक प्राध्यापकों के लिए निर्धारित समेकित वेतनमान में विभिन्न विभागों के लिए समन्वय अधिकारियों की नियुक्त 11 महीने की अवधि के लिए करने का अनुमोदन प्रदान किया। उपयुक्त के लिये वित्तीय भार संस्थान को ही वहन करना होगा।

मद क्र. 122–16: संस्थान के कम्प्यूटर इंजीनियरिंग विभाग सहित अन्य विभागों के लिए शिक्षकों एवं तकनीकी सहायकों के अतिरिक्त पदों के सृजन बाबत ।

सदन को अवगत कराया गया कि संस्थान के कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग में शिक्षकों एवं तकनीकी सहायकों की भारी कमी है। शासी निकाय ने निर्णय लिया कि इस हेतु एक कमेटी बनाकर एवं उससे शिक्षण भार की गणना कर ए.आई.सी.टी.ई. के मानदण्डों के अनुसार शिक्षकों एवं तकनीकी सहायकों के पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए । इन पदों के सृजन पर जो भी वित्तीय भार आएगा संस्थान को ही वहन करना होगा । शिक्षण भार की गणना एवं शिक्षकों की संख्या का आकलन पूरे संस्थान के लिए भी किया जाए जिससे कि नये पद सृजित किये जा सके ।

मद क्र. 122–17: सब इंजीनियर (एम एण्ड आर– इलेक्ट्रिफिकेशन) के एक पद के सृजन बाबत ।

यह निर्णय लिया गया कि संस्थान की आवश्यकताओं के मद्देनज़र दो पद – एक सब इंजीनियर (एम एण्ड आर–इलेक्ट्रिफिकेशन) एवं दूसरा सब इंजीनियर (सिविल) के सृजित करने हेतु पूर्ण औचित्य के साथ शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया जाए । वर्तमान में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए संविदा आधार पर दो व्यक्तियों की नियुक्ति– सब इंजीनियर (एम एण्ड आर–इलेक्ट्रिफिकेशन) एवं सब इंजीनियर (सिविल) के पद पर कर ली जाए ।

मद क्र. 122–18: साप्ताहिक पांच दिवसीय कार्यप्रणाली संस्थान में लागू करने बाबत।

निर्णय लिया गया कि साप्ताहिक पांच दिवसीय कार्यप्रणाली लागू किये जाने के कारण होने वाली परेशानियों को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अनुसार ही वर्तमान कार्य दिवस प्रणाली को यथावत रखा जाए ।

मद क्र. 122–19: संस्थान के शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ की ओर से उनकी मांगों के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र दिनांक 10.07.2017 पर विचार विमर्श।

संस्थान के शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ द्वारा उनके पत्र दिनांक 10.7.2017 पर किये गये निवेदन के संदर्भ में सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के बच्चों के संस्थान में प्रवेश उपरान्त शिक्षण शुल्क (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी 80 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी 50 प्रतिशत एवं प्रथम श्रेणी 25 प्रतिशत) छूट का प्रावधान शासी निकाय द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार किया गया है।

संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए पृथक से सेवा भर्ती नियम बनाकर लागू करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाए ।

मद क्र. 122–20: संस्थान के छात्रों के लिए दुर्घटना मेडिक्लेम पॉलिसी लागू करने के सम्बन्ध में ।

सदन को अवगत कराया गया कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जिससे यह संस्थान सम्बद्ध है द्वारा छात्रों के प्रवेश के समय दुर्घटना बीमा राशि ली जाती है । यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में 250 रुपये में 50,000 रूपये का ग्रुप मेडिक्लेम होता है।

निर्णय लिया गया कि किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर रा.गा.प्रौ.वि. से क्लेम किया जाए । इसके बावजूद भी संस्थान छात्रहित में उनसे पृथक से नाममात्र की राशि लेकर खुद का एक फण्ड बनाए जिससे आर्थिक रूप से कमजोर/जरूरतमंद छात्र के चिकित्सा हेतु तत्काल राशि उपलब्ध कराई जा सके । इस फण्ड के लिए भूतपूर्व छात्रों का भी सहयोग लिया जाए ।

अध्यक्ष की अनुमति से रखे अन्ये मद

उपरोक्तानुसार मदों पर चर्चा के उपरानत माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं अपनी ओर से एवं कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखे जिन पर चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये जो कि निम्नानुसार है:–

1/ **मद क्र.122–21–1**: संस्था को प्रगति के पथ पर कैसे तीव्र गति से अग्रसर करना है इस हेतु प्रस्ताव बनाकर शासी निकाय की आगामी बैठक आयोजित करने की इच्छा माननीय अध्यक्ष महोदय ने जाहिर की जिसका सभी ने ध्वनिमत से स्वागत किया एवं अपनी सहमति प्रदान की।

2/ **मद क्र.122–21–2**: माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इंदौर प्रशासन के निर्देशानुसार वाहन चालक एवं उनके साथ पीछे बैठे व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना एवं वाहन चालक के पास ड्राईविंग लाईसेंस होना आवश्यक है। अतः इसे संस्थान के बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए एवं हेलमेट पहनकर आने वाले वाहन चालकों(छात्रों) को ही संस्थान में प्रवेश की अनुमति दी जाए।

3/ **मद क्र.122–21–3**: माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वाट्सअप एवं फेसबुक जैसे एप एवं इंटरनेट निरन्तर चलाते रहने से बच्चों में डिप्रेशन होता है । अतः इस सम्बन्ध में छात्रों को जानकारी देने के लिए कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन किया जाए जिसमें वे स्वयं पूरे दिन संस्थान में उपस्थित रहेंगे।

4/ **मद क्र.122–21–4**: डॉ. आर.एस. गामड से उनके कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु प्राप्तः निवेदन दिनांक 10.07.2017 के सम्बन्ध में शिक्षक प्रतिनिधियों ने मुद्दा उठाते हुए उनकी परिवेदना के त्वरित समाधान तथा उनके साथ न्याय हेतु निवेदन किया । उन्होंने बताया कि चयन समिति द्वारा उनके कुछ अंक जोड़े ही नहीं गये जिससे उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया जबकि उनके समकक्ष अन्य प्राध्यापकों को मिल गया है। अतः डॉ. गामड एवं उनके समान अन्य प्राध्यापकों के प्रकरणों का पुनरावलोकर कर उन्हें पदोन्नति का लाभ दिया जाए।

निर्णय लिया गया कि कैरियर एडवांसमेंट सम्बन्धी लंबित प्रकरणों के त्वरित निदान के लिए एक कमेटी बनाकर प्रचलित नियमों के प्रकाश में निराकरण किया जाए ।

4/ **मद क्र.122–21–5**: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में छात्रों में अवसाद की समस्या के निदान के लिए काउंसलर/साइकोलॉजिस्ट होते हैं । निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में प्रकरण शासी निकाय की आगामी बैठक में पृथक से प्रस्तुत किया जाए ।

अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद देने के साथ शासी निकाय की बैठक समाप्त हुई।

(डॉ. राकेश सक्सेना)
सचिव, शासी निकाय
एवं निदेशक, एस.जी.एस.आय.टी.एस., इंदौर

(डॉ. वीरेन्द्रकुमार)
संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल

(दीपक जोशी)
राज्यमंत्री
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास (स्व.प्र.)
स्कूल शिक्षा
मध्यप्रदेश शासन

(माननीय श्री दीपक जोशी)
अध्यक्ष, शासी निकाय, एस.जी.एस.आय.टी.एस. इंदौर
एवं मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल